सचिका स0–07/MCH-35-21/2023 – 182 (7A)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

कुमार रवि,
सचिव ।

सेवा मे,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना ।

द्वाराः– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनाक– 04 / 06 /2026

विषयः– **दरभंगा जिलान्तर्गत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के लिए चयनित भूखंड में निकटवर्ती नदियों के उड़ाहीकरण से प्राप्त मिट्टी/गाद का उपयोग कर मिट्टी भराई एवं समतलीकरण कार्य करने हेतु जल संसाधन विभाग को प्राधिकृत करने तथा पूर्व से स्वीकृत योजना के अधीन जल संसाधन विभाग को प्राक्कलन के अनुसार राशि उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सबध मे कहना है कि दरभगा जिलान्तर्गत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान सस्थान (AIIMS), दरभंगा की स्थापना एव विकास हेतु बहादुरपुर अंचल अन्तर्गत एकमी–शोभन बायपास सडक पर मौजा–बलिया, थाना न0–120/2 मे विभिन्न खाता खेसरा मे कुल–189 17 एकड मे अवस्थित भूखंड मे आवश्यकतानुसार मिट्टी भराई कर समतलीकरण करने हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत सरचना निगम लि0, पटना से प्राप्त प्राक्कलन के अनुरूप रू0 3,09,29,59,000/– (रुपये तीन अरब नौ करोड उनतीस लाख उनसठ हजार) मात्र की लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय राज्यादेश सख्या–18(7), दिनाक–02 05 2023 द्वारा दी गयी थी, जिसे मंत्रिपरिषद् की दिनाक–18 04 2023 को आहूत बैठक में मद सख्या–11 के रूप मे स्वीकृति प्राप्त थी।

2– विदित हो कि पूर्व में स्वीकृति प्राप्त उक्त योजना का कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत सरचना निगम लि0, पटना द्वारा कराया जाना था। दिनांक–22.05 2026 को अपर सचिव, भारत सरकार, स्वास्थ्य मत्रालय के स्तर पर आयोजित बैठक मे IIT दिल्ली के विशेषज्ञो के समक्ष यह निर्धारित हुआ कि जिस भाग मे निर्माण कार्य होना है, उस भाग मे पूर्ववत् मिट्टी का स्तर प्राप्त किया जाय तथा शेष भाग मे आशिक मिट्टी भराई जाय। इस सबंध मे मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता मे दिनाक–25 05 2026 को आहूत बैठक मे चयनित भूखड मे निकटवर्ती नदियो के उडाहीकरण से प्राप्त मिट्टी/गाद के उपयोग को देखते हुए जल ससाधन विभाग के व्यापक तकनीकी विशेषज्ञता एव अनुभव प्राप्त होने के कारण यह कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना के स्थान पर जल ससाधन विभाग द्वारा कराये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त बैठक मे कार्य की महत्ता को देखते हुए एम्स, दरभगा के चयनित भूमि पर मिट्टी भराई कर समतलीकरण कार्य को आवश्यकतानुसार मानसून की अवधि मे भी जारी रखने के लिए जल ससाधन विभाग को प्राधिकृत किया गया है।

3– तद्क्रम मे जल ससाधन विभाग के पत्राक–2222, दिनांक–27 05 2026 द्वारा एम्स, दरभगा के लिए चिन्हित भूमि मे निर्धारित कार्य योजना के अनुरूप मिट्टी भराई कर समतलीकरण कार्य हेतु प्राथमिक प्राक्कलन के आधार पर 25 किलो मीटर की परिधि अन्तर्गत खिरोई, बागमती एव अन्य नदियो से मिट्टी/गाद की उडाही कर एम्स के कैपस मे मिट्टी भराई के लिए रु० 184.65 करोड की राशि प्राक्कलित की गयी है।

4– इस पर होने वाले व्यय हेतु राशि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जल ससाधन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी। यह राशि स्वास्थ्य विभाग के राज्यादेश सख्या–18(7), दिनाक–02 05 2023 द्वारा स्वीकृत राशि रू० 3,09,29,59,000/– (रुपये तीन अरब नौ करोड उनतीस लाख उनसठ हजार) के अधीन है। बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत सरचना निगम लि0, पटना द्वारा उक्त कार्य मे समन्वय एव सहयोग किया जायेगा।

5– जल ससाधन विभाग द्वारा निकटवर्ती नदियो के उडाहीकरण से प्राप्त मिट्टी का उपयोग किये जाने से एक ओर नदियो की जलधारण क्षमता एव प्रवाह मे सुधार होगा, वही दूसरी ओर AIIMS परिसर के लिए आवश्यक गुणवत्तायुक्त मिट्टी की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी।

6– स्वीकृत राशि रू० 3,09,29,59,000/– (रुपये तीन अरब नौ करोड उनतीस लाख उनसठ हजार) के अधीन जल संसाधन विभाग द्वारा किये जाने वाले उपरोक्त मिट्टी भराई एव भूमि समतलीकरण कार्य के अतिरिक्त Scope of work मे वर्णित अन्य कार्य पूर्ववत् बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत सरचना निगम लि0, पटना द्वारा किया जायेगा।

7– उक्त परिप्रेक्ष्य में दरभगा जिलान्तर्गत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान सस्थान (AIIMS) के लिए चयनित भूखंड मे निकटवर्ती नदियो के उडाहीकरण से प्राप्त मिट्टी/गाद का उपयोग कर मिट्टी भराई एवं समतलीकरण कार्य करने हेतु जल ससाधन विभाग को प्राधिकृत करने तथा पूर्व से स्वीकृत योजना के अधीन जल ससाधन विभाग को प्राक्कलन के अनुसार राशि उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

8– प्रस्ताव को दिनाक–03 06 2026 की मत्रिपरिषद् की बैठक में मद सख्या–10 के रूप मे सम्मिलित एव स्वीकृत किया गया है।

9– राज्यादेश प्रारूप मे आतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका सख्या–07/MCH-35-21/2023 के पृष्ठ– 95 /टि0 मे प्राप्त है।

10– यह मात्र राज्यादेश है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(कुमार रवि)

सचिव।

ज्ञापाक:–07/MCH-35-21/2023 – 182 (7A) /स्वा0, पटना, दिनाक 04/06/2026

प्रतिलिपि–योजना एव विकास विभाग, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, मत्रिमडल सचिवालय विभाग को मत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–03 06 2026 मे मद सख्या–10 के आलोक मे सूचनार्थ प्रेषित/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना/प्रबध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत सरचना निगम लि०, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– प्रमडलीय आयुक्त, दरभगा प्रमडल, दरभगा/जिला पदाधिकारी, दरभगा/क्षेत्रीय अपर निदेशक, दरभंगा प्रमडल, दरभंगा/असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, दरभगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:– माननीय मत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–1, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एव उक्त सभी को ई–मेल करने के निर्देश के साथ प्रेषित।

सचिव।